भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2775 का उत्तर

पेरम्बलुर, तमिलनाडु में पीआरएस केंद्र

2775. श्री अरुण नेहरू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के पेरम्बलुर में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र नहीं है जिसके कारण निवासियों को अन्य जिलों में जाना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान पेरम्बलुर में पीआरएस केंद्र की स्थापना की मांग करते हुए जनता और निर्वाचित पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या जिले में एक नए आरक्षण केंद्र की व्यवहार्यता और संभावित यात्री संख्या का आकलन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार पेरम्बलुर में पीआरएस केंद्र को कब तक स्वीकृत और स्थापित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) : किसी स्थान पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी व्यवहार्यता एवं वाणिज्यिक अर्थक्षमता के अध्यधीन, स्थापित किया जाता है। नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, एक पीआरएस केंद्र कमीशन किया गया था और वर्तमान में, यह केंद्र जनवरी 2005 से पेरम्बलूर टाउन के नए बस स्टैंड परिसर में

कार्यरत है। बुकिंग की वर्तमान संख्या के लिए इसे पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा, आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकटें ऑनलाइन भी बुक की जा सकती हैं, जो कहीं से भी, कभी भी टिकट प्राप्त करने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका है।

हाल ही में, रेलवे ने रेलवन ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप यात्रियों को मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकटें बुक करने में सक्षम बनाता है। यह वास्तव में पीआरएस सुविधा को यात्रियों की पहुँच में लाता है।

किसी स्थान पर पीआरएस केंद्र की व्यवस्था के लिए रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर संसद सदस्यों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूँकि, ऐसे प्रस्तावों/अभ्यावेदनों की प्राप्ति सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए, ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

*****